भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2886
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

2886. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश :

श्री सु.थिरुनवुक्करासर :

श्री पी.रविन्द्रनाथ कुमार :

श्री ए.गणेशमूर्ति :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

श्रीमती रीती पाठक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में बड़ी संख्या में न्यायालयी मामले एक दशक से भी अधिक समय से लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों से लंबित उन मामलों की संख्या कितनी है जो सरकारी राजस्व से संबंधित हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने दस वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक कार्य योजना तैयार की है और संबंधित न्यायालयों से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का इन मामलों के समयबद्ध तरीके से निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में और अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्यों में विभिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालय की पीठों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : उपलबध सूचना के अनुसार 4,223 मामलें उच्चतम न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित है और राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के बेवपोर्टल पर उपलब्ध डाटा के

अनुसार 8.33 लाख मामलें उच्चतम न्यायालयों में और 25.10 लाख मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

2015 में हुई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्य के मुख्य मंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के अनुसरण में, जहां यह निश्चित किया गया था कि सभी उच्च न्यायालय बकाया समिति गठित करेंगे, तभी विधि और न्याय मंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को अनुरोध करते हुए लिखा कि उनके द्वारा मामलों के लंबित रहने के मुद्दों के सुलझाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे उपायों से सरकार को अवगत कराए, विशेषकर जो पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, सभी उच्च न्यायालय बकाया समितियों का गठन कर चुके हैं। लंबित वादों को घटाने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा की गयी प्रगति को, अप्रैल, 2016 में हुई उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। विभिन्न उच्च न्यायालयों के बकाया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ यह पारित किया गया कि (i) सभी उच्च न्यायालय मामलों के निपटारे के लिए उच्च प्राथमिकता देंगे जो कि पांच से अधिक वर्षों से लंबित पड़े हैं; (ii) उच्च न्यायालय में, जहां पर मामले पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, वहां पर उनका निस्तारण मिसन मोड पर सुकर बनाया जाएगा। (iii) उच्च न्यायालय ऐसे मामलों के निपटारे के लिए उत्तरोतर लक्ष्य सुनिश्चित करेगा जो कि चार से अधिक वर्षों से लंबित हैं; (iv) पांच वर्षों से अधिक समय से जिला अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देते हुए, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए, जहां संभव हो, अतिरिक्त प्रोत्साहन पर विचार किया जा सकता है; और (v) मामला प्रवाह प्रबंध नियमों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आगे यह निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के क्रियान्वयन के मॉनीटरिंग करने के लिए प्रकोष्ठ/समिति का गठन करेंगे और प्रत्येक उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्रिया विधि का सृजन करेंगे। तद्नुसार, सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में बकाया समितियां कार्य कर रही हैं।

सरकार, मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, और न्यायपालिका के सहयोग से कई सुधार उपायों को किया गया है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्रतम निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी-प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने न्यायिक प्रशासन में विभिन्न सामरिक प्रयासों के माध्यम से बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वित पहुंच अंगीकार की है जिसके अंतर्गत, न्यायालयों के लिए अवसंरचना में सुधार करना, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना तथा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना भी है। न्यायपालिका की कार्यपद्धति को और दक्ष बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :-

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना</u>: वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 6,986.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें से, अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 3,542.20 करोड़ रुपये (जो कि आज तक जारी

की गई कुल रकम का 50.70 प्रतिशत है) जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 15 ,818 थी, से बढ़कर आज 19,101 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर आज 16,777 हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, 2,879 न्यायालय हाल और 1,886 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं। केंद्रीय सरकार ने इस स्कीम को 3,320 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राक्कलित लागत के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् तारीख 01.04.2017 से तारीख 31.03.2020 से आगे जारी रखना अनुमोदित किया है।

(ii) न्याय परिदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना **:** सरकार संपूर्ण देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को समर्थ बनाने हेतु सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड़ परियोजना लागू कर रही है। कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में वर्ष 2014 से आज तक के दौरान 3,173 की वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करते हुए 13,672 से 16,845 की वृद्धि हुई है। सभी कम्प्यूट्रीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के नये और उपयोक्ता अनुकूल रुपान्तर सूचना सॉफ्टवेयर विकसित और परिनियोजित किए गए है। क्यू आर कोड सुविधा सॉफ्टवेयर में संचालित की गई है, जो मामलों की वर्तमान स्थिति की जांच करने में समर्थ बनाती है। राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा (एनजेडीजी), नागरिकों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से जो कि पहले से ही कंप्यूटरीकृत हैं, मामला दाखिल करने, मामला प्रास्थिति तथा आदेशों और निर्णयों की इलैक्ट्रॉनिक प्रतियों के बारे में ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है। 11.67 करोड़ मामलों से संबंधित सूचना इस पोर्टल पर उपलब्ध है। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे कि मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवाओं के माध्यम से मुवक्किलों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध हैं। वकिलों और मुवक्किलों को सूचना संबंधी वाद सूची और अन्य मामलों से संबंधित न्यायिक सूचना के प्रसार के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालय परिसरों में सूचना कियोस्क स्थापित किया गया है। ई-न्यायालय परियोजना देश की शीर्ष पांच मिशन मोड परियोजनाओं में से एक बनी हुई है।

(iii) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों का भरा जाना: तारीख 01.0 5.2014 से 24.06.2019 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे। उच्च न्यायालयों में 454 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 366 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या जो मई, 2014 में 906 थी, से बढकर वर्तमान में 1079 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत और कार्यरत पद निम्नानुसार बढ़ गए हैं:

तारीख, को स्थिति	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
31.12.2013	19,518	15,115
30.06.2019	23,199	17,757

(iv) <u>बकाया मामला समितियों के माध्यम से अनुवर्ती लम्बित मामलों में कमी</u>**:** इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया मामला समितियां गठित की गई । बकाया मामला समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लम्बित मामलों में कमी हेतु कदम उठाने के लिए बकाया मामला समिति गठित की गई है।

(v) <u>वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना</u>**:** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (20 अगस्त, 2018 को यथा संशोधित) वाणिज्यिक विवादों के आज्ञापक पूर्व-संस्थित मध्यकता और निपटारा नियत करता है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का संशोधन विहित समय-सीमा में विवादों के त्वरित समाधान को शीघ्र करने के लिए किया गया है।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान को प्रारंभ करना</u> **:** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, जघन्य अपराधों; ज्येष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों, आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है और राज्य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% तक वर्धित कर न्यागमन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्त राजकोषीय व्यवस्था का उपयोग करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में, सम्पूर्ण देश में ऐसे 581 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्यों को अंतर्वलित करने वाले त्वरित निपटान अपराधिक मामले के लिए ग्यारह (11) राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली) में बारह (12) विशेष न्यायालय स्थापित की गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई हैं । भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का संशोधन करने के लिए तारीख 11 .08.2018 को दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018, अधिनियमित किया गया है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक निरंतर और सहयोग की प्रक्रिया है । विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को आरंभ करना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, वहीं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को आरंभ करना संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । शीघ्र विद्यमान रिक्तियां भरते समय हर प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त, त्याग पत्र या उन्नति और न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी होने के भी कारण होती है ।

इसके अतिरिक्त, सांविधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का चयन संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । तथापि, निचली

न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने को सुकर बनाने में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) सिम्बर, 2016 में विधि और न्याय संघ मंत्री ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की काडर संख्या बढ़ाने और राज्य न्यायपालिका को भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को लिखा था। यही मई, 2017 में दोहराया गया था। अगस्त, 2018 में, लंबित मामलों के बढ़ने के संदर्भ में, विधि और न्याय संघ मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को लिखा कि नियमित रिक्तियों की निगरानी करें और मलिक मजहर सुल्तान मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित अधिसूचित समय के अनुसार खाली पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के साथ उचित सहयोग सुनिश्चित करें।

(ii) रिक्तियों को भरने में स्वप्रेरणा रिट याचिका (सिविल) सं. 2018 का 2 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निगरानी भी की जा रही है।

(iii) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों को भरने का अनुसरण करने के लिए जनवरी, 2018, जुलाई, 2018 और नवम्बर, 2018 माहों में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी सचिवों के साथ न्याय विभाग के सचिव की लगातार बैठकें हुई हैं।

(iv) न्याय विभाग ने अनुमोदित और कार्यरत संख्या और मासिक आधार पर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों की रिपोर्ट और मॉनिटरिंग करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक वेब पोर्टल बनाया गया है।

(v) बराबर और समयबद्ध रीति में इन रिक्तियों को नियमित भरने को सुकर बनाने के लिए, न्याय विभाग ने अपने पत्र तारीख 28 अप्रैल, 2017 द्वारा उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय चयन विधि क्रिया के सृजन का सुझाव दिया है। उच्चतम न्यायालय ने स्वप्रेरणा से सरकार के सुझाव को 9 मई, 2017 को एक रिट याचिका में बदला है और सभी राज्य सरकारों (जिसमें संघ शासित राज्य भी सम्मिलित हैं) को निर्देश दिया है कि वे उच्चतम न्यायालय रजिस्टरी में शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब और सुझाव फाइल करें।

उच्च न्यायालय की न्याय पीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा वर्ष 200 की रिट याचिका (सी) सं. 379 में उदघोषित निर्णय के अनुसरण में तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति सहित राज्य सरकार और संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात स्थापित की जाती हैं। राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की इसकी प्रधान सीट से अलग स्थापना करने के लिए आवश्यक अवंसरचनात्मक प्रसुविधाएं प्रदान करनी होती है और उच्च न्यायालय तथी इसकी न्यायपीठ का संपूर्ण व्यय बहन करना होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय और इसके न्यायपीठ के दैनिक प्रशासन की देख-भाल करना समय-समय पर प्रधान सीट से न्यायपीठ के लिए न्यायाधीशो की प्रतिनुयक्ति किया जाना अपेक्षित है। अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय दोनो सभी दृष्टिकोणों से मामलें पर विचार करे और किसी एक मतैक्य पर पहुचें।

****